

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.16(1)खान/ग्रुप-2/2019

जयपुर, दिनांक: 11 JAN 2019

—:आदेश:—

खान विभाग शासन सचिवालय, जयपुर में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र प्रारम्भ होने से सत्र स्थगित होने तक वे सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी प्रकार अवकाश नहीं ले सकेंगे व मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

उपरोक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

sd
(डॉ. बी.डी.कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, खान विभाग, राजस्थान-सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार निर्देशित करवाने का श्रम करावें।
4. निदेशक, पेट्रोलियम विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार निर्देशित करवाने का श्रम करावें।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि., उदयपुर (राज.) को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार निर्देशित करवाने का श्रम करावें।
6. खान (ग्रुप-1/2) विभाग, शासन सचिवालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारी।
7. रक्षित पत्रावली।

सास
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

क्रमांक:— निदे/नियु/मीस/प-240/2018/159-290

दिनांक: 15-1-2019

प्रतिलिपि निम्न को शासन उप सचिव, खान (ग्रुप-1), राज0जयपुर के आदेश क्रमांक प-16(1)/खान/ग्रुप-2/2019 दिनांक 11.1.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:—

1. अतिरिक्त निदेशक(खान) जोन-जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/कोटा/(सतर्कता-मु0) उदयपुर/मुख्यालय उदयपुर/(पर्यावरण एवं विकास) निदेशालय उदयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक(भूविज्ञान) जोन-उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/(मु.)उदयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, केन्द्रीय कार्यालय उदयपुर।

4. अधीक्षण खनि अभियन्ता, वृत-जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/भीलवाडा/अजमेर/राजसमन्द/ (मुख्यालय-I/II/III)/तकनीकी सहायक-निदेशक,के.का.उदयपुर ।
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर/बीकानेर/भीलवाडा ।
6. अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक एवं छिद्रण) उदयपुर/बीकानेर ।
7. अधीक्षण भूवैज्ञानिक,रीजन-जयपुर/जोधपुर/ट्राईबल-उदयपुर/फास्फेट-उदयपुर/बीकानेर/जैसलमेर/भरतपुर/अजमेर/कोटा/भीलवाडा/(रिमोट सेन्सिंग प्रकोष्ठ)/मुख्यालय,के.का.,उदयपुर ।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी/उपविधि परामर्शी,/प्रशासनिक अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी (आय-व्यय बजट)/अधीक्षण भूमौतिकवेता/भूमौतिकवेता/कनिष्ठ भूमौतिकवेता,/वरिष्ठ रसायनज्ञ-प्रथम/द्वितीय,/समस्त रसायनज्ञ/लेखाधिकारी/सहायक निदेशक(सांख्यिकी)/भूवैज्ञानिक/सहायक खनि अभियन्ता(मु0)/ (सतर्कता-मु0) के.का.,उदयपुर ।
9. यांत्रिक अभियन्ता(कर्मशाला)उदयपुर ।
10. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक,राजसमंद/सिरोही/बाडमेर/अलवर/बांसवाडा/चित्तौडगढ/करौली/नागौर/जैसलमेर/प्रकाशन/मुख्यालय/खनिज मूल्यांकन प्रकोष्ठ/खनिज अर्थशास्त्री/पेट्रोलोजिस्ट के.का. उदयपुर ।
11. खनि अभियन्ता,जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/सिरोही/सीकर/अलवर/भरतपुर/आमेत/राजसमंद-प्रथम/द्वितीय/बून्दी-प्रथम/द्वितीय/नागौर/रामगंजमण्डी/झुंझुनूं/सोजतसिटी भीलवाडा/धौलपुर/बिजौलिया/चित्तौडगढ/मकराना/करौली/प्रतापगढ/ब्यावर/डूंगरपुर/बांसवाडा/जालौर/श्रीगंगानगर/बाडमेर/जैसलमेर ।
12. खनि अभियन्ता, याचिका-जयपुर/याचिका-जाधेपुर ।
13. खनि अभियन्ता सतर्कता-जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/भीलवाडा/उदयपुर/अजमेर/अलवर/नागौर/करौली/सीकर ।
14. सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर/ऋषभदेव/टोंक/बालेसर/निम्बाहेडा/कोटपूतली/गोटन/झालावाड/बांरा/दौसा/सवाईमाधोपुर/चुरू/हनुमानगढ/नीमकाथाना/रूपवास/सावर ।
15. सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) कोटपूतली/नीमकाथाना/झुंझुनूं/मकराना/तिजारा/बालेसर/टोंक बून्दी बासवाडा/बिजौलिया/राजसमन्द/जैसलमेर/गंगापुर/सोजतसिटी/कोलायत/धौलपुर/डींग/सवाईमाधोपुर/ब्यावर ।
16. अतिरिक्त निजी सचिव (निदेशक)/निजी सहायक (अनिप्र)के.का.,उदयपुर ।
17. प्रभारी अधिकारी-लेखा शाखा(आय(व्यय)(अंकेक्षण)/मानचित्र अनुभाग/क्रय अनुभाग/पेट्रोलोजी लेब/प्रयोगशाला-(धात्विक)/अधात्विक/प्रधान अनुभाग/अप्रधान अनुभाग नियुक्ति अनुभाग/आवक जावक/जांच अनुभाग/सतर्कता अनुभाग/सांख्यिकी अनुभाग पुस्तकालय/केन्द्रीय भण्डार/वर्कचार्ज अनुभाग/पर्यावरण एवं विकास प्रकोष्ठ/विधि अनुभाग/आयोजना अनुभाग/विधानसभा प्रकोष्ठ/भूविज्ञान अनुभाग/रिमोट सेसिंग/(DMG-OMS Cell)/सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ/मोनेटरिंग सेल./केयर टेकर/ADG-Hq- Cell/ APA-Cell./सूचना सहायक को बेवसाईट पर अपलोड हेतु ।
18. नोटिस बोर्ड


(बाल मुकुन्द असावा) RAS
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)